न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 18/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्राधिकृत अधिकारी एस आर जी हाउरिंग फाईनेंस लिमिटेड उदयपुर।		1. श्री रमेशकुमार पुत्र श्री गमनाराम जाति माली निवासी मकान नं. 120, न्यू गोकुल वाडी, तहसील शिवगंज जिला सिरोही। 2. श्री मुकेशकुमार पुत्र श्री रमेशकुमार जाति माली निवासी 120, वार्ड नं. 09 गोकुल वाडी तहसील शिवगंज जिला सिरोही। 3. श्रीमती लीलाबाई पत्नि श्री रमेश कुमार जाति माली निवासी 120, वार्ड नं. 09 गोकुल वाडी तहसील शिवगंज जिला सिरोही। 4. श्री गायनाराम पुत्र श्री भभुताराम निवासी 103, केसरपुरा गोकुलवाडी वार्ड नं. 09 तहसील शिवगंज जिला सिरोही। 5. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री पुखराज निवासी हीरागर वाडी, करण नगर, गली नं. 03 वार्ड नं. 07 तहसील शिवगंज जिला सिरोही। 6. श्री थानाराम पुत्र श्री रूपाराम निवासी 277 लुहारों का वास लापोद पावर हाउस के पीछे तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002

उपस्थिति :–

1. श्री किशनसिंह अधिवक्ता, प्रार्थी बैंक ।

निर्णय

दिनांक : 20.09.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा अप्रार्थी

1. श्री रमेशकुमार पुत्र श्री गमनाराम जाति माली निवासी मकान नं. 120, न्यू गोकुल वाडी, तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
2. श्री मुकेशकुमार पुत्र श्री रमेशकुमार जाति माली निवासी 120, वार्ड नं. 09 गोकुल वाडी तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
3. श्रीमती लीलाबाई पत्नि श्री रमेश कुमार जाति माली निवासी 120, वार्ड नं. 09 गोकुल वाडी तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
4. श्री गायनाराम पुत्र श्री भभुताराम निवासी 103, केसरपुरा गोकुलवाडी वार्ड नं. 09 तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
5. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री पुखराज निवासी हीरागर वाडी, करण नगर, गली नं. 03 वार्ड नं. 07 तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
6. श्री थानाराम पुत्र श्री रूपाराम निवासी 277 लुहारों का वास लापोद पावर हाउस के पीछे तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:16:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

को राशि रूपये 18,00,000/— की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी । अप्रार्थी ने अपनी जायदाद पट्टा संख्या 142/87 खसरा सं. 13/2 प्लॉट सं. 01 क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट ग्राम न्यू गोकुल वाडी तहसील शिवगंज जिला सिरोही को बैंक/कम्पनी के पक्ष मे रहन कर दिया।

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी के बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 09.07.2020 को जारी किये गये । जो पंजीकृत डाक के माध्यम से तामिल करवाये गये उसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीयो के द्वारा बतोर जमानत रहन रखी गई सम्पति इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।

प्रार्थी के लायक अधिकारी/अधिवक्ता की बहस सुनी । विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी एक नियमित निकाय है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण देने का व्यवसाय करती है उसकी शाखाओं मे से एक शाखा उदयपुर में भी स्थित व कार्यरत है । प्रार्थी बैंक/संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को रूपये 18,00,000/— ऋण स्वीकृत किया था । जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक/कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र मे किया गया है । बहस मे कहा कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी पक्ष को नियमित रूप से ऋण राशि व ब्याज राशि का भुगतान नही करने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान नही किया गया । भुगतान नही करने के फलस्वरूप अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है । अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतोर जमानत प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष मे रहन रखी गई उक्त जायदाद इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जावे ।

प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी । अप्रार्थी द्वारा राशि रूपये 18,00,000/— का ऋण लिया था । ऋण राशि के बदले [illegible] द्वारा अपनी जायदाद को बैंक/कम्पनी के पक्ष मे उक्त जायदाद [illegible] । प्रार्थी द्वारा नियमानुसार धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थी को रजिस्टर्ड [illegible] भी दिनांक 09.07.2020 को जारी किये है जिनकी प्राप्ति के पश्चात् भी अ[illegible] द्वारा देय राशि का भुगतान नही किया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:16:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Scanned with CamScanner

दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 निम्न प्रकार है :-

14. Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset – (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to the sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this Act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other document, relating thereto may be situated or found to take possession thereof and the

Chief Metropolitan Magistrate or as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him –

(a) take possession of such asset and documents relating thereto and

(b) forward such assets and documents to the secured creditor

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may be take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के संदर्भ मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष मे प्रतिभूति के रूप मे रखी गई अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी । अप्रार्थी ने अपनी जायदाद पट्टा संख्या 142/87 खसरा सं. 13/2 प्लॉट सं. 01 क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट ग्राम न्यू गोकुल वाडी तहसील शिवगंज जिला सिरोही को बैंक/कम्पनी पक्ष मे रहन कर दिया । जिसका अडोस पडोस निम्न प्रकार है।

पूर्व– श्री मोहनलाल पुत्र श्री खीमाजी का मकान

पश्चिम– आम रास्ता एवं प्लॉट का निकास

उत्तर– श्री प्रकाशराज, श्री भंवरलाल पिसरान, श्री गणेशराम जी माली का मकान

दक्षिण– 30 फीट चौडा रास्ता एवं निकास

उपरोक्त जायदाद का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस थाना से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाये जाने का आदेश दिया जाता है । यदि उक्त सम्पति किसी भी तरीके से बंद पाई जाती है तो ताला तोडकर उक्त सम्पति पर प्रार्थी बैंक अपना कब्जा प्राप्त करे । आदेश की प्रति पालनार्थ पुलिस अधीक्षक सिरोही, संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे । आदेश आज दिनांक 20.09.2021 को खुले ईजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:16:11 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Scanned with CamScanner